



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 519 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29 / पाकालि / 2015 - 27 - पी / 88

दिनांक 04 जुलाई, 2015

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा,

केस्को, कानपुर।

विषय:- चिकित्सा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं० 1694-पी/राविप-तीस-27-पी/1988 दिनांक 11.11.1988 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा भत्ता की दरें दिनांक 01 जुलाई, 1988 से निम्नवत् पुनरीक्षित की गई थीं :-

वेतन सीमा	दर प्रति माह
रु० 3000/- तक	वेतन का 03 प्रतिशत, किन्तु न्यूनतम रु० 30/- तथा अधिकतम रु० 60/- प्रतिमाह।
रु० 3000/- के उपरान्त	वेतन का 2 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु० 60/- तथा अधिकतम रु० 100/- प्रतिमाह।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 26 जून, 2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य चिकित्सा भत्ता की उपरोक्त दरें पुनरीक्षित वेतन संरचना में, समस्त कार्मिकों को समरूपता में तत्काल प्रभाव से रु० 200/- प्रतिमाह अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

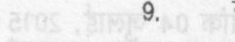
3. उपरोक्त के फलस्वरूप अलग से वेतन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० 519-(I) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1 एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।



वेद अहमद 517115